

न्यायालय सहायक कलक्टर, दौलत

राजगिरी 15 बंगला

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>पीआई 86/2017 हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व अहकाम जो की तामील में</p>
<p>15/6 2021</p>	<p>वकील वादी उपरोक्त यादवादी स्पष्ट व मृतक यादवादी सं. 9 के अधीन वक्ता उपास्थित। वकील वादी द्वारा वाद नोट चेरु करने के कारण वाद स्वारिज कर दिया गया है। इसलिये इस याचना-पर अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाये जाने का कोई आदेश नहीं है। अतः वाद नोट चेरु करने से वाद स्वारिज हो जाने के कारण याचना-पर अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वारिज किया जाता है। परन्तु केस नुमा होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ समंजन रहे ①</p>	<p>नम्बर व अहकाम जो की तामील में</p>

